>

Title: Regarding the payment due on the V.R.S. to employees of Andaman Timber Industries Limited.

श्री विष्णु पद राय : सभापति जी, अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह के पोर्टब्लेयर शहर के बगल में अण्डमान टिम्बर इंडस्ट्रीज़ के नाम से एक प्लाइवुड फैक्टरी थी। वर्ष 2000 में उस फैक्टरी ने अपनी मर्जी से काम करना बन्द कर दिया। उसके बाद एग्रीमेंट बना और थर्ड इंस्टालमेंट में 819 मजदूरों को 2.73 करोड़ रुपया देने का प्रोवीज़न था। एग्रीमेंट में लिखा गया था कि अण्डमान टिम्बर इंडस्ट्रीज़ की जो 8.8 हैक्टेयर्स जमीन है, उसे प्रशासन ड्राई डॉक बनाने के नाम पर खरीदेगा और 14 करोड़ रुपया उनको देगा। प्रशासन ने थोड़ी बहुत जमीन खरीदी, 3 हैक्टेयर जमीन खरीदी और करीब-करीब तीन करोड़ रुपया दिया। बाकी जो 5 हैक्टेयर जमीन थी, उसका 11 करोड़ रुपया उसने नहीं दिया। यह झगड़ा चलता रहा और उसके मुताबिक प्रशासन द्वारा जमीन लेने के नाम पर ए.टी.आई. कम्पनी हाईकोर्ट की लोअर बैंच में गई, फिर डिवीज़न बैंच में गई। कोर्ट ने प्रशासन के ऊपर बार-बार ऑर्डर किये कि आप जमीन ले लो और रुपया दे दो, हम इस रुपये से अण्डमान टिम्बर इंडस्ट्रीज़ के मजदूरों को तनख्वाह देंगे, पेमेण्ट देंगे। उनके बीच यह एग्रीमेंट हुआ था। हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अंडमान सरकार के कर्मचारियों ने दो करोड़ रूपए खर्च किए। मजदूरों की मांग 2 करोड़ 73 लाख थी, जो वादा सरकार ने किया था कि कंपनी जमीन खरीदेगी, वह उसे नहीं ले रही है। आखिर में मैं मांग करूंगा कि कंपनी के मालिक ने प्रशासन को लिखा, जो आपने वादा किया कि पूरी 8 हेक्टेअर जमीन लेंगे और 14 करोड़ रूपए देंगे। आपने पार्टली जमीन ली और तीन करोड़ रूपए दिए। एक पत्र प्रशासन को दिया और एटीआई कंपनी ने कहा कि आप रूपए वापस ले लो। हमें जमीन दे दो। ...(व्यवधान) मेरी मांग है कि 819 मजदूर जो एटीआई में काम कर रहे हैं, उनके लिए तुंत मीटिंग करके मजदूर की यूनियन बैठे, मालिक बैठे, साथ में एलजी बैठें और प्राब्लम्स को सॉल्व करे, जिससे मजदूरों को तनख्वाह मिल सके।